भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 421
दिनांक 21 जुलाई, 2026 / 30 आषाढ़, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक के लिए नारकोटिक्स द्वारा प्रवर्तन

†421. श्री श्रेयस एम. पटेल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कर्नाटक के हासन जिले में मादक पदार्थों की तस्करी तथा नशीले पदार्थों के दुरूपयोग की बढ़ती घटनाओं से अवगत है;
(ख) गत पाँच वर्षों के दौरान स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत मामलों, जब्त किए गए स्वापक औषधियों तथा मन:प्रभावी पदार्थों की मात्रा, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या, दाखिल किए गए आरोप-पत्र तथा प्राप्त दोष-सिद्धियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने हासन जिले में मादक पदार्थ के दुरुपयोग संबंधी प्रवर्तन, खुफिया जानकारी एकत्र करने, न्यायालयिक विज्ञान सुविधाओं तथा क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करने के लिए कर्नाटक सरकार को कोई वित्तीय अथवा तकनीकी सहायता प्रदान की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) युवाओं में नशीले पदार्थों का उपयोग रोकने के लिए जागरूकता अभियान, शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से पहुँच नशामुक्ति सेवाओं तथा समुदाय आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से क्या उपाय किए गए हैं; और
(ङ) क्या सरकार का हासन जिले में मादक पदार्थों की तस्करी तथा नशीले पदार्थो के दुरुपयोग पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों, राज्य पुलिस, शैक्षणिक संस्थानों तथा स्थानीय प्राधिकरणों के बीच समन्वय मजबूत करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा वर्ष 2024 के संबंध में प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020-2024 के दौरान स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत

लोक सभा अता. प्र.सं. 421, दिनांक 21.07.2026

कर्नाटक राज्य में जिला-वार (हासन जिले सहित) दर्ज मामलों का ब्योरा अनुलग्नक-I में दिया गया है। वर्ष 2020-2024 के दौरान कर्नाटक राज्य में जब्त किए गए मादक पदार्थों और मनःप्रभावी पदार्थों की मात्रा तथा वर्ष-वार दर्ज मामलों (सीआर), आरोप-पत्रित मामलों (सीसीएस), दोषसिद्ध मामलों (सीओएन) तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों (पीएआर) का ब्योरा क्रमशः अनुलग्नक-II तथा अनुलग्नक-III में दिया गया है।

(ग): गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता योजना के अंतर्गत मादक पदार्थ-रोधी प्रवर्तन क्षमता तथा संबंधित अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। हालांकि, हासन जिले के लिए पृथक रूप से कोई जिला-स्तरीय वित्तीय सहायता जारी नहीं की गई है, लेकिन कर्नाटक सरकार को इस योजना के अंतर्गत निम्नानुसार वित्तीय सहायता प्रदान की गई है—

वर्ष	जारी की गई राशि (रु. में)
2022-23	1,73,15,589/-
2024-25	2,59,73,383/-
2025-26	5,19,46,766/-

स्रोत : स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 'मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना' (एनएपीडीडीआर) तैयार की गई है तथा उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, जो कि एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या का निराकरण करना है। इस योजना के तहत निवारक शिक्षा तथा जन-जागरूकता, क्षमता निर्माण तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने हेतु कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य कार्य योजना के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस घटक के लिए, कर्नाटक राज्य को निधियां प्रदान की जाती हैं, न की किसी विशिष्ट जिले को। मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कर्नाटक राज्य को राज्य कार्य योजना हेतु 2.96 करोड़ रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3.25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

(घ): सरकार द्वारा कर्नाटक (हासन जिले सहित) में जन-जागरूकता अभियानों, शैक्षणिक संस्थानों में आउट रीच कार्यक्रमों, नशामुक्ति सेवाओं तथा समुदाय-आधारित पहलों के माध्यम से युवाओं में मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु विभिन्न पहलें की गई हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

लोक सभा अता. प्र.सं. 421, दिनांक 21.07.2026

(i) दिनांक 17.02.2026 को एनसीबी, बेंगलुरु जोनल इकाई ने राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आरजीयूएचएस) तथा दिशाबोध फाउंडेशन के सहयोग से हासन जिले में एक व्यापक मादक पदार्थ-रोधी जन-जागरूकता अभियान आयोजित किया। इस कार्यक्रम के तहत मादक पदार्थों के प्रति जागरूकता संबंधी पुस्तिकाओं का वितरण, मादक-पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र (मानस) हेल्पलाइन का प्रचार-प्रसार तथा 2 किलोमीटर की मादक पदार्थ-रोधी वॉकाथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन, विद्यार्थियों तथा आम नागरिकों ने भाग लेकर नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध जन-जागरूकता को बढ़ावा दिया।

(ii) वर्ष 2025 के दौरान एनसीबी, बेंगलुरु जोनल इकाई द्वारा विद्यालयों, कॉलेजों, कॉर्पोरेट कार्यालयों तथा सार्वजनिक स्थलों पर 59 जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें वॉकाथॉन तथा साइक्लोथॉन भी शामिल थीं, इन कार्यक्रमों में लगभग 17,000 व्यक्तियों, मुख्यतः विद्यार्थियों, ने भाग लिया। इसके अलावा, वर्ष 2026 (दिनांक 15.04.2026 तक) के दौरान नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कर्नाटक सरकार, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ समन्वय से 11 जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें कर्नाटक के विभिन्न जिलों से लगभग 37,450 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

(iii) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा एक व्यापक तीन वर्षीय नशा मुक्त विद्यालय कार्य योजना (2026-2029) तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य जागरूकता, निवारण, क्षमता निर्माण तथा सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से देशभर में सुरक्षित, स्वस्थ, तंबाकू तथा मादक पदार्थ-मुक्त विद्यालयी वातावरण का निर्माण करना है। इस कार्य योजना का लक्ष्य निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति करना है:—

(क) स्व-घोषणा नशा मुक्त विद्यालय पोर्टल की स्थापना, जिसके माध्यम से मादक पदार्थ-मुक्त क्षेत्र/तंबाकू-मुक्त शैक्षणिक संस्थान (टीओएफईआई) के कार्यान्वयन की निगरानी की जाएगी।

(ख) सभी विद्यालय परिसरों के 500 मीटर के दायरे को मादक पदार्थ-मुक्त क्षेत्र घोषित करना तथा विद्यालयों के बाहर अनिवार्य रूप से सूचना/संकेतक पट्ट लगाना।

(ग) मादक पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम संबंधी आयु-उपयुक्त पाठ्यवस्तु को जीवन कौशल तथा स्वास्थ्य शिक्षा के पाठ्यक्रम के साथ एकीकृत करना।

(घ) तंबाकू, मादक पदार्थों तथा नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से संबंधित मानकीकृत प्रशिक्षण सामग्री तथा सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री का विकास करना।

(iv) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 'मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना' (एनएपीडीडीआर) के अंतर्गत कर्नाटक राज्य में 30 एकीकृत व्यसनी पुनर्वास केंद्रों (आईआरसीए) (हासन जिले में 01), 04 जिला नशामुक्ति केंद्रों (डीडीएसी) तथा 01 व्यसन उपचार सुविधा केंद्र (एटीएफ) को सहायता प्रदान की जा रही है।

(ङ) सरकार द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी तथा नशीले पदार्थों के दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण हेतु केंद्रीय एजेंसियों, राज्य पुलिस, शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय प्राधिकरणों के बीच समन्वय को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं—

(i) भारत में मादक पदार्थों की तस्करी तथा नशीले पदार्थों के दुरुपयोग पर नियंत्रण के क्षेत्र में केंद्रीय तथा राज्य स्तरीय मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य स्टेकहोल्डरों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक चार-स्तरीय नार्को-समन्वय केंद्र (एनकॉर्ड) तंत्र की स्थापना की गई है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा नार्को-समन्वय केंद्र (एनकॉर्ड) पोर्टल विकसित किया गया है। यह मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन से संबंधित सभी सूचनाओं के लिए एकीकृत पोर्टल है। इस पोर्टल पर नार्को-समन्वय केंद्र (एनकॉर्ड), प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण, मादक पदार्थ अपराधियों का डेटा, विधिक जानकारी तथा राज्यों द्वारा की गई अनुकरणीय पहलों सहित अन्य विषयों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

(ii) जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता तथा सदस्य-सचिव के रूप में पुलिस अधीक्षक के तहत नार्को-समन्वय केंद्र (एनकॉर्ड) समिति का गठन किया गया है तथा इस समिति में शिक्षा, आबकारी, कृषि, पर्यटन, वन, आसूचना तथा रेलवे जैसे राज्य तथा केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, ताकि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। वर्ष 2025 के दौरान हासन जिले में 08 जिला स्तरीय नार्को-समन्वय केंद्र (एनकॉर्ड) बैठकें आयोजित की गईं तथा वर्ष 2026 में (दिनांक 30.06.2026 तक नार्को-समन्वय केंद्र (एनकॉर्ड) पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार) 04 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

(iii) संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं, जिनमें सभी संबंधित केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय एजेंसियां भाग लेती हैं, जिसमें राज्य में मादक पदार्थों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों की जांच पर विचार-विमर्श किया जाता है। वर्ष 2026 के दौरान दिनांक 10.04.2026 को कर्नाटक राज्य के लिए 01 राज्य स्तरीय संयुक्त समन्वय उप-समिति की बैठक आयोजित की गई।

(iv) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक समर्पित एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) गठित की गई है, जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में नार्को-समन्वय केंद्र (एनकॉर्ड) सचिवालय के रूप में कार्य करती है तथा विभिन्न स्तरों पर आयोजित नार्को-समन्वय केंद्र (एनकॉर्ड) बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा तथा अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करती है।

(v) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा तंबाकू तथा मादक पदार्थ-मुक्त विद्यालय परिसर के उद्देश्य से सतत जन-जागरूकता, संवेदनशीलता और क्षमता निर्माण संबंधी पहलें की जा रही हैं। विभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ घनिष्ठ समन्वय से निवारक शिक्षा संबंधी जागरूकता अभियानों, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों तथा विद्यालयों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और व्यापक समुदाय के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री के सुदृढ़ीकरण के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। इन पहलों का उद्देश्य तंबाकू, मादक पदार्थों तथा अन्य सभी प्रकार के नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना, शिक्षकों की निवारक पहलों के क्रियान्वयन की क्षमता विकसित करना, अभिभावकों तथा समुदाय की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना और सभी विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ एवं सहयोगपूर्ण शिक्षण वातावरण का निर्माण करना है।

लोक सभा अता. प्र.सं. 421, दिनांक 21.07.2026

अनुलग्नक-I

कर्नाटक के जिलों (हासन जिले सहित) में वर्ष 2020-2022 के दौरान स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत दर्ज मामले।

क्रम सं.	राज्य/जिला	2020			2021			2022		
		एनडीपीएस अधिनियम, 1985 (कुल) (क+ख)	क) निजी उपयोग/उपभोग के लिए मादक पदार्थ रखना	ख) तस्करी के उद्देश्य से मादक पदार्थ रखना	एनडीपीएस अधिनियम, 1985 (कुल) (क+ख)	क) निजी उपयोग/उपभोग के लिए मादक पदार्थ रखना	ख) तस्करी के उद्देश्य से मादक पदार्थ रखना	एनडीपीएस अधिनियम, 1985 (कुल) (क+ख)	क) निजी उपयोग/उपभोग के लिए मादक पदार्थ रखना	ख) तस्करी के उद्देश्य से मादक पदार्थ रखना
1	बागलकोट	20	2	18	9	0	9	7	0	7
2	बेंगलुरु शहर	2766	2305	461	4555	3864	691	4027	3457	570
3	बेंगलुरु जिला	53	0	53	59	16	43	144	60	84
4	बेलगावी जिला	57	39	18	28	24	4	62	53	9
5	बल्लारी	38	5	33	24	0	24	23	22	1
6	बीदर	22	3	19	12	0	12	12	3	9
7	विजयपुरा	18	0	18	20	0	20	21	0	21
8	चिक्कबल्लपुर	28	2	26	27	0	27	64	18	46
9	चामराजनगर	27	0	27	26	0	26	28	0	28
10	चिक्कामगलुरु	50	29	21	23	15	8	266	248	18
11	चित्रदुर्ग	10	5	5	6	6	0	18	18	0

लोक सभा अता. प्र.सं. 421, दिनांक 21.07.2026

12	दक्षिण कन्नड़	28	26	2	8	1	7	33	25	8
13	दावनगेरे	19	0	19	21	21	0	16	15	1
14	धारवाड़	19	19	0	14	14	0	10	10	0
15	गडग	10	0	10	12	0	12	15	12	3
16	कलबुर्गी	28	16	12	29	21	8	53	39	14
17	हासन	33	33	0	38	0	38	70	70	0
18	हावेरी	8	8	0	4	4	0	14	14	0
19	हुबली धारवाड़ शहर	24	23	1	46	46	0	53	53	0
20	केजीएफ	5	1	4	9	5	4	83	80	3
21	कोडागू	30	12	18	17	6	11	21	21	0
22	कोलार	17	17	0	25	2	23	46	46	0
23	कोप्पल	8	6	2	4	4	0	4	3	1
24	मांड्या	13	2	11	15	0	15	10	0	10
25	मंगलुरु शहर	189	154	35	328	277	51	399	365	34
26	मैसुरु शहर	27	12	15	21	2	19	33	1	32
27	मैसुरु जिला	16	14	2	9	0	9	16	2	14
28	रायचूर	22	22	0	5	3	2	16	0	16
29	के रेलवेज	2	0	2	12	9	3	28	0	28
30	रामानगर	34	16	18	37	0	37	99	0	99

लोक सभा अता. प्र.सं. 421, दिनांक 21.07.2026

31	शिमोगा	89	73	16	145	122	23	199	182	17
32	तुमकुरु	19	3	16	51	27	24	104	60	44
33	उडुपी	249	217	32	65	48	17	262	249	13
34	उत्तर कन्नड़	31	15	16	56	45	11	57	19	38
35	यादगिरी	13	2	11	2	0	2	2	0	2
36	बेलगावी शहर	15	0	15	11	1	10	33	13	20
37	कलबुर्गी शहर	17	17	0	14	5	9	47	9	38
38	विजयनगर	-	-	-	-	-	-	4	3	1
	कुल जिले	4054	3098	956	5787	4588	1199	6399	5170	1229

स्रोत : क्राइम इन इंडिया (एनसीआरबी)

लोक सभा अता. प्र.सं. 421, दिनांक 21.07.2026
अनुलग्नक-I (जारी)

कर्नाटक के जिलों (हासन जिले सहित) में वर्ष 2023-2024 के दौरान स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत दर्ज मामले

क्रम सं.	राज्य/जिला	2023			2024		
		एनडीपीएस अधिनियम, 1985 (कुल) (क+ख)	क) निजी उपयोग/उपभोग के लिए मादक पदार्थ रखना	ख) तस्करी के उद्देश्य से मादक पदार्थ रखना	एनडीपीएस अधिनियम, 1985 (कुल) (क+ख)	क) निजी उपयोग/उपभोग के लिए मादक पदार्थ रखना	ख) तस्करी के उद्देश्य से मादक पदार्थ रखना
1	बागलकोट	17	10	7	18	5	13
2	बेंगलुरु शहर	3443	2787	656	495	27	468
3	बेंगलुरु जिला	253	146	107	75	33	42
4	बेलगावी जिला	59	58	1	50	50	0
5	बल्लारी	54	22	32	29	16	13
6	बीदर	32	9	23	24	6	18
7	विजयपुरा	29	13	16	28	2	26
8	चिक्कबल्लपुर	33	0	33	26	0	26
9	चामराजनगर	38	0	38	37	0	37
10	चिक्कामगलुरु	222	199	23	227	212	15
11	चित्रदुर्ग	71	71	0	66	66	0
12	दक्षिण कन्नड़	66	45	21	44	36	8

लोक सभा अता. प्र.सं. 421, दिनांक 21.07.2026

13	दावनगेरे	90	80	10	173	173	0
14	धारवाड़	18	13	5	19	5	14
15	गडग	21	11	10	23	11	12
16	कलबुर्गी	56	51	5	22	22	0
17	हासन	79	52	27	130	86	44
18	हावेरी	20	20	0	19	19	0
19	हुबली धारवाड़ शहर	87	87	0	244	179	65
20	केजीएफ	55	45	10	26	12	14
21	कोडागू	101	57	44	86	86	0
22	कोलार	63	63	0	39	18	21
23	कोप्पल	10	7	3	12	12	0
24	मांड्या	39	16	23	57	26	31
25	मंगलुरु शहर	713	619	94	1114	1028	86
26	मैसुरु शहर	62	5	57	43	0	43
27	मैसुरु जिला	24	0	24	27	6	21
28	रायचूर	15	12	3	20	8	12

लोक सभा अता. प्र.सं. 421, दिनांक 21.07.2026

29	के रेलवेज	57	1	56	59	8	51
30	रामानगर	118	91	27	50	28	22
31	शिमोगा	253	237	16	380	366	14
32	तुमकुरु	80	59	21	111	72	39
33	उडुपी	272	244	28	123	111	12
34	उत्तर कन्नड़	101	65	36	86	55	31
35	यादगिरी	11	2	9	7	5	2
36	बेलगावी शहर	23	10	13	55	42	13
37	कलबुर्गी शहर	51	38	13	53	48	5
38	विजयनगर	27	9	18	68	26	42
	कुल जिले	6763	5254	1509	4165	2905	1260

स्रोत : क्राइम इन इंडिया (एनसीआरबी)

लोक सभा अता. प्र.सं. 421, दिनांक 21.07.2026
अनुलग्नक-II

कर्नाटक में वर्ष 2020-2021 के दौरान स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत जब्त किए गए मादक पदार्थों और मन:प्रभावी पदार्थों की मात्रा

क्रम सं.	मादक पदार्थ	2020			2021		
		किग्रा. में	संख्या में	लीटर में	किग्रा. में	संख्या में	लीटर में
1	अफीम आधारित मादक पदार्थ	7.932	0	0.000	45.699	0	0.000
1.1	अफीम	5.088	0	0.000	44.645	0	0.000
1.2	मॉर्फिन (किलोग्राम में)	0.000	0	0.000	0.010	0	0.000
1.3	हेरोइन (किलोग्राम में)	2.844	0	0.000	1.044	0	0.000
1.4	पोस्त भूसी	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000
2	भांग आधारित मादक पदार्थ	21642.303	0	0.000	8088.270	0	0.000
2.1	गांजा (कुल)	21604.461	0	0.000	8033.260	0	0.000
2.2	हशीश	29.809	0	0.000	48.646	0	0.000
2.3	चरस	8.033	0	0.000	6.364	0	0.000
3	कोकीन (किलोग्राम में)	2.117	0	0.000	1.252	0	0.000
4	मन:प्रभावी पदार्थ	3.803	0	0.000	21.025	0	0.000
4.1	मेथाक्वालोन (किलोग्राम में)	0.540	0	0.000	0.018	0	0.000
4.2	एफेड्रिन/स्यूडो एफेड्रिन	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000
4.3	एलएसडी (किलोग्राम में)	1.761	0	0.000	1.358	0	0.000

लोक सभा अता. प्र.सं. 421, दिनांक 21.07.2026

4.4	एमफेटामाइन/मेथाम्फेटामाइन	1.502	0	0.000	19.649	0	0.000
5	मेडिसिनल प्रिपरेशंस	61.691	8952	0.000	321.610	14206	6.260
5.1	फेन्सिडिल/कफ सिरप	0.000	0	0.000	0.000	0	6.200
5.2	इंजेक्शन वायल	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000
5.3	गोलियाँ/कैप्सूल	0.000	8317	0.000	0.000	14206	0.000
5.4	अन्य मेडिसिनल प्रिपरेशंस	61.691	635	0.000	321.610	0	0.060
6	ड्रग प्रीकर्सर - एसिटिक एनहाइड्राइड	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000
7	भांग के पौधे	-	-	-	-	-	-
7	पोस्त के पौधे	-	-	-	-	-	-
8	अन्य दवाएं	11.947	3294	1.610	2.107	0	0.000
	कुल	21729.793	12246	1.610	8479.963	14206	6.260
स्रोत : क्राइम इन इंडिया (एनसीआरबी)							

लोक सभा अता. प्र.सं. 421, दिनांक 21.07.2026
अनुलग्नक-II (जारी)

कर्नाटक में वर्ष 2022-2024 के दौरान स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत जब्त किए गए मादक पदार्थों और मन:प्रभावी पदार्थों की मात्रा

क्रम सं.	मादक पदार्थ	2022			2023			2024		
		किग्रा. में	संख्या में	लीटर में	किग्रा. में	संख्या में	लीटर में	किग्रा. में	संख्या में	लीटर में
1	अफीम आधारित मादक पदार्थ	36.752	0	0.000	247.651	0	0.000	55.004	0	0.000
1.1	अफीम	36.469	0	0.000	112.334	0	0.000	34.031	0	0.000
1.3	हेरोइन (किलोग्राम में)	0.283	0	0.000	0.753	0	0.000	1.430	0	0.000
1.4	पोस्त भूसी	0.000	0	0.000	134.564	0	0.000	19.543	0	0.000
2	भांग आधारित मादक पदार्थ	10406.317	0	0.000	12205.383	0	0.000	13402.549	0	3750.000
2.1	गांजा (कुल)	10372.945	0	0.000	12190.188	0	0.000	13334.981	0	3750.000
2.2	हशीश	22.225	0	0.000	11.612	0	0.000	2.984	0	0.000
2.3	चरस	11.147	0	0.000	3.583	0	0.000	64.584	0	0.000
3	कोकीन (किलोग्राम में)	3.209	0	0.000	2.532	0	0.000	4.389	0	0.000
4	मन: प्रभावी पदार्थ	114.751	0	0.000	59.159	0	0.000	113.930	40	0.000
4.1	मेथाक्वालोन (किलोग्राम में)	70.258	0	0.000	2.497	0	0.000	0.008	0	0.000
4.2	एफेड्रिन/स्यूडो एफेड्रिन	0.090	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000
4.3	एलएसडी (किलोग्राम में)	0.199	0	0.000	0.000	0	0.000	0.146	0	0.000
4.4	एमफेटामाइन/मेथाम्फेटामाइन	44.204	0	0.000	56.662	0	0.000	6.763	0	0.000

लोक सभा अता. प्र.सं. 421, दिनांक 21.07.2026

4.5	केटामाइन	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000
4.6	एटीएस	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000
4.6	एमडीएमए	-	-	-	-	-	-	107.013	40	0.000
4.6	मैंड्रैक्स	-	-	-	-	-	-	0.000	0	0.000
5	मेडिसिनल प्रिपरेशंस	0.000	2820	34.000	0.623	6414	13.700	0.000	20171	58.400
5.1	फेन्सिडिल/कफ सिरप	0.000	0	34.000	0.000	0	13.700	0.000	0	58.400
5.2	इंजेक्शन वायल	0.000	0	0.000	0.000	2	0.000	0.000	0	0.000
5.3	गोलियाँ/कैप्सूल	0.000	2820	0.000	0.000	6198	0.000	0.000	18451	0.000
5.4	अन्य मेडिसिनल प्रिपरेशंस	0.000	0	0.000	0.623	214	0.000	0.000	1720	0.000
6	ड्रग प्रीकर्सर- एसिटिक एनहाइड्राइड	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000	0.000	0	0.000
7	भांग के पौधे	-	-	-	-	-	-	0.000	3	0.000
7	पोस्त के पौधे	-	-	-	-	-	-	0.000	0	0.000
8	अन्य दवाएं	16.209	0	0.000	75.604	870	0.000	0.052	0	0.000
	कुल	10577.238	2820	34.000	12590.952	7284	13.700	13575.924	20214	3808.400
स्रोत : क्राइम इन इंडिया (एनसीआरबी)										

लोक सभा अता. प्र.सं. 421, दिनांक 21.07.2026
अनुलग्नक-III

कर्नाटक में वर्ष 2019 से 2023 की अवधि के दौरान स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ के संबंध में दर्ज मामलों (सीआर), आरोप पत्रित मामलों (सीसीएस), दोषसिद्ध मामलों (सीओएन) और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों (पीएआर) की संख्या

क्रम सं.	वर्ष	स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (कुल) (क+ख)				निजी उपयोग/उपभोग के लिए मादक पदार्थ रखना (क)				तस्करी के उद्देश्य से मादक पदार्थ रखना (ख)			
		सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर
1	2020	4054	3832	888	5934	3098	3058	854	4101	956	774	34	1833
2	2021	5787	5864	1893	8049	4588	4572	1728	5639	1199	1292	165	2410
3	2022	6399	6548	3117	8114	5170	5210	3051	5878	1229	1338	66	2236
4	2023	6763	7174	4453	8002	5254	5382	4303	5548	1509	1792	150	2454
5	2024	4165	4262	3701	5088	2905	2920	3419	3259	1260	1342	282	1829

स्रोत : क्राइम इन इंडिया (एनसीआरबी)